न्यायालय सहायक कलक्टेर एव उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला उदयपुर

...वान सं.–31 / 2016 दिनांकः–03.02.2017

उनवान

1. खेमशंकर पिता देवीलाल नागदा जाति ब्राहमण निवासी सिसारमा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर ।

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार सेमारी जिला उदयपुर (राज0) ।

...र्थना पत्र अंतर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए राजस्थान ...श्तकारी अधिनियम ।

निर्णय दिनांक 03 / 02 / 17

...र्थी खेमशंकर पिता देवीलाल नागदा जाति ब्राहमण निवासी सिसारमा ने न्यायालय में प्रार्थना ...त्र धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम अंतर्गत पेश कर कथन किया है कि

1. यह कि प्रार्थी कि काश्तकारी भूमि मौजा ग्राम ब्रहपुरी पटवार मण्डल सेमारी तहसील सेमारी जिला उदयपुर राजस्थान में स्थित जिसके आराजी नं. 7304 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 7305 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 7306 रकबा 0.07है., 7309 रकबा 0.05है.,7311 रकबा 0.03है.,7292 रकबा 0.80है.,7308 रकबा 0.12है.,7310 रकबा 0.34है., कुल कीता 10 रकबा 1.64 है., भूमि का प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज है।
2. यह कि प्रार्थी की उक्त आराजी भूमि में आने जाने एवं खेत के उपकरण एवं औजार को लाने एवं ले जाने हेतु वर्तमान में कोई रेकार्डेड रास्ता नहीं है। वर्तमान में उक्त अराजियात की भूमि में आने जाने हेतु आराजी नं. 7292 से लगती हुई ग्राम जोधपुरिया तहसील सेमारी की बिलानाम खसरा सं. 1 रकबा 0.87 हैं, किस्म मगरी में से होकर की आना जाना सम्भव है एवं उक्त भूमि मौके पर पडत है।
3. यह कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु लगभग 6 मीटर चौडाई एवं लगभग 200 मी. लम्बाई के रास्ते की आवश्यकता है प्रार्थी उक्त भूमि जो कि रास्ते के लिए उपयोग में ली जावेगी उसकी नियमानुसार राशि जमा कराने को प्रार्थी तत्पर है।
4. यह कि प्रार्थी उक्त भूमि जो उसे रास्ते के रूप में दी जावेगी उसका रास्ते के अलावा दिगर किसी अन्य कार्यो में उपयोग नहीं करेगा

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी तहसीलदार सेमारी को नोटिस जारी किया गया कर जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार सेमारी ने दिनांक 12/01/17 को जवाब पेश किया गया जिसे शामिल कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की बिन्दु संख्या एक में वर्णित कथन वर्तमान राजस्व रिकार्ड के मुताबिक स्वीकार है। राजस्व ग्राम ब्रहपुरी तहसील सेमारी के खसरा सं.7304 रकबा 0.07हे., खसरा सं.7305 रकबा 0.03हे.,खसरा सं.7306 रकबा 0.07हे., खसरा नंबर 7307 मी. रकबा 0.08 हे, खसरा सं. 7309 रकबा 0.05हे., खसरा नम्बर 7311 रकबा 0.03 हें., खसरा सं.7292 मी रकबा 0.75हे., खसरा सं.7308 रकबा 0.12हे.,खसरा सं.7310 रकबा 0.04हे.,खसरा सं.7312 रकबा 0.34हे. कुल किता 10 रकबा 1.58 हेक्टेयर भूमि प्राथी श्री खेमशंकर पिता देवीलाल नागदा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत 2069–2072 है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित संख्या ...

खसरा नंबर 1 रकबा 0.87 हेक्टेयर राजकीय भूमि में से आना जाना संभव हो सकता है। मौके पर खसरा नम्बर 1की भूमि पडत है।नकल जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा मानचित्र की प्रति सलंग्न है।

यह कि प्रार्थी खेमशंकर पिता देवीलाल नागदा निवासी सीसारमा के .द्वारा राजस्व ग्राम ब्रह्मपुरी के खसरा नम्बर 7292 रकबा 0.08 हेक्टेयर भूमि में से 0.01 हेक्टेयर भूमि तथा खसरा नम्बर 7307 रकबा 0.09 हेक्टेयर में से 0.01 हेक्टेयर भूमि का वाणिज्यक (रिन्जीन) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं विचाराधीन पत्रावली पर आवेदक खेमशंकर किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं विचाराधीन पत्रावलीपर आवेदक खेमशंकर पिता देवीलाल नागदा द्वारा 20 रूपयें के स्टाम्प पर शपथ पत्र पर प्रस्तुत करते हुए अण्डरटेंकिग दी है कि आवेदित भूमि तक आने जाने हेतु सम्पर्क मार्ग ग्राम जोधपुरिया के आराजी नम्बर 1 रकबा 0.87 हेक्टेयर में से आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1 की भूमि का उपयोग करना चाहते है तथा खसरा नम्बर 1 रकबा 0.87 में से 0.12 हेक्टेयर भूमि आने जाने के लिये रास्ता के रूप में उपयोग करेंगे। आवेदक खेमशंकर उक्त रास्ते के प्रयोजन हेतु उपयोग में ली जाने वाली 0.12 हेक्टेयर भूमि का नियमानुसार कृषि भूमि की डी.एल.सी दर की दुगनी राशि जमा कराने के लिये तैयार है। शपथ पत्र की प्रति सलंग्न है।

इसी संबंध में ग्राम पंचायत श्यामपुरा द्वारा इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 05/11/16 को जारी किया गया है कि आवेदक खेमशंकर पिता देवीलाल नागदा के खातेदारी कृषि भूमि के आराजी नंबर 7292 रकबा 0.80 हे. भूमि में से 0.01 हे. एवं खसरा नंबर 7307 रकबा 0.09 हे. भूमि में से 0.01 हेक्टेयर भूमि वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु आवेदित भूमि तक आने जाने के लिए राजस्व ग्राम जोधपुरिया की खसरा नंबर 1 रकबा 0.87 हेक्टेयर भूमि में से 0.12 हे. भूमि रास्ते के उपयोग करते है तो ग्राम पंचायत श्यामपुरा एवं सार्वजनिक रूप से किसी को कोई आपत्ति नही है। प्रति संलग्न है।

यह कि राजस्व ग्राम जोधपुरिया के खसरा नं. 1 रकबा 0.87 हें भूमि में से 0.12 हें भूमि माननीय श्रीमान के न्यायलय द्वारा रिकार्ड एवं तथ्यों के मद्देनजर रखते हुए यदि सार्वजनिक रास्ते हेतु आदेशित की जाती है तो रास्ते हेतु आवेदित भूमि 6 मीटर गुणा 200 लम्बाई कुल 0.12 हे. भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में निहित होकर, उक्त भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार का होना अपरिहार्य है।

पत्रावली बहस हेतु मुर्करर हुई । प्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु लगभग 6 मीटर चौडाई एवं लगभग 200 मी. लम्बाई के रास्ता दिया जावे। इसके अलावा अन्य कोई वकैल्पिक रास्ता नही है। अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार ने बहस में बताया कि आवेदित भूमि तक प्रार्थी को आने जाने के लिए राजस्व ग्राम जोधपुरिया कि खसरा नं. 1 रकबा 0.87 हें. भूमि में से 0.12 हें. भूमि रास्ते के उपयोग करते है तो ग्राम पंचायत श्यामपुरा व सार्वजनिक रूप से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त रास्ते के लिए कुल 0.12 हे. भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में निहित होकर उक्त भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार का होना अपरिहार्य है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजों और बहस के तथ्यों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के कमांक प.4(52) राजस्थान 6/12 /4दिनांक 14/06/13 के परिपत्र की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सूविधा के लिये आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचान के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव है। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 ए काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकार भूमिधारी तहसीलदार को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी खेमशंकर पिता देवीलाल नागदा को अपने राजस्व ग्राम जोधपुरिया की ख.नं.1 रकबा 0.87 हैं. भूमि में से 0.12 हे. (6मी × 200मी.) का सार्वजनिक रास्ते के रूप में कृषि भूमि दरो (डी.एल.सी.) का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर राजकोष में जमा करायें तन्दुपरांत ही उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक रास्ते के रूप में अमल दरामद किया जावें। जिसका स्वामित्व राज्य सरकार के पास रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।,

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सराडा जिला उदयपुर

आज निर्णय दिनांक 3/2/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सराडा जिला उदयपुर